पत्रांक–5 / न0वि0 / भू०अधि०(जुडको)–29 / 2017 ......32......

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

OSP

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

राँची, दिनांक–05/06/18

विषयः–हजारीबाग में केन्द्र प्रायोजित अमृत योजना अन्तर्गत हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ग्राम ओकनी–1, थाना संख्या–138, खाता संख्या–63, प्लॉट संख्या–639, रकबा–39 डिसमिल रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना अन्तर्गत शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद के OSP प्रक्षेत्र से हजारीबाग नगर निगम को कुल 1,60,98,420/–रू० (एक करोड़ साठ लाख अनठान्वें हजार चार सौ बीस रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि हजारीबाग नगर निगमके पत्रांक–1303 दिनांक–18.04.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में हजारीबाग में केन्द्र प्रायोजित अमृत योजना अन्तर्गत हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ग्राम ओकनी–1, थाना संख्या–138, खाता संख्या–63, प्लॉट संख्या–639, रकबा–39 डिसमिल रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना अन्तर्गत शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद के OSP प्रक्षेत्र से हजारीबाग नगर निगम को कुल 1,60,98,420/–रू० (एक करोड़ साठ लाख अनठान्वें हजार चार सौ बीस रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–191–नगर निगमो को सहायता–उपशीर्ष–56–शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान–79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48S221780191560679 से वित्तीय वर्ष 2017–18 में विकलनीय होगी।

3. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग नगर निगम होंगे। जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से की जाएगी।

4. राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार से की जायेगी ।

5. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या–3993 दिनांक–22.07.2016 द्वारा भूमि क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इस राशि से विषयगत योजना हेतु भूमि क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

6. हजारीबाग नगर निगम को उक्त योजना हेतु शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद से विगत वर्ष के पूर्व के वर्ष (2016–17) में कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थिति शून्य मानी जाय।

7. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

Rakesh/E/Sheil/S0_Land Acqistion18-19(1)

8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

11. संबंधित निकाय के प्रशासी पदाधिकारी स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए स्वीकृत राशि से भूमि क्रय की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

4.6.18

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/भू०अधि०(जुडको)–29/2017 ......32...... **राँची, दिनांक–**...05/06/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विकास विभाग/निदेशक, राज्य शहरी अभिकरण/संबंधित आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लिमिटेड/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट एवं झारखण्ड सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.6.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Rakesh/E/Shail/S0_Land Acqistion18-19(2)